राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

Email ID-hwcmp-nhm@mp.gov.in

मध्यप्रदेश आरोग्यम

क्रमांक/NHM/HWC/2022/ 2021 भोपाल, दिनांक 16/03/2022

//आदेश//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन) IGNOU तथा MPMSU द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ के जुलाई–दिसम्बर 2021 एवं अक्टुबर–मार्च 2022 के 32 प्रशिक्षणार्थियों का काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम न–05 मे दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक **कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु (CHO Intern)** के रूप में अस्थाई पदस्थापना की जाती है।

SN	Session	App ID	Name	District	Block	HWC Name	NIN
1	July-2021	29051	Babita Yadav	Anuppur	Jaithari	Kalyanpur	8252668747
2	July-2021	35041	Manish Karma	Anuppur	Jaithari	KHOLAIYA	1113554420
3	July-2021	6303	Yogendra Singh Tomar	Anuppur	Jaithari	Khursa	3331315618
4	July-2021	4253	Gayatri Narware	Anuppur	Jaithari	Semarwar	3847657628
5	July-2021	26909	Sonali Dasondhi	Anuppur	Pushprajgarh	Amadari	3482375858
6	October-2021	24165	Monika Borkar	Anuppur	Pushprajgarh	Atariya	6522716155
7	July-2021	7418	Kiran Choudhary	Anuppur	Pushprajgarh	Bamhani	6641875684
8	July-2021	7397	Ankita Pandole	Anuppur	Pushprajgarh	Basahi	6714787329
9	July-2021	3334	Nisha Khateek	Anuppur	Pushprajgarh	Beldongari	5677386814
10	October-2021	34730	Sakshi Mehna	Anuppur	Pushprajgarh	Damehadi	4631728864
11	July-2021	30328	Harshita Chauhan	Anuppur	Pushprajgarh	Deori	8875372719
12	July-2021	33082	Gauri Jamod	Anuppur	Pushprajgarh	Dhuradhar	1113554545
13	July-2021	6357	Anup Singh Kushwah	Anuppur	Pushprajgarh	Dudhmaniya	3624637868
14	July-2021	6139	Rahul Shrivastava	Anuppur	Pushprajgarh	Ghuidadar	7384333261
15	July-2021	19028	Sunita Maida	Anuppur	Pushprajgarh	Girari	3455746747
16	July-2021	19785	Sadhana	Anuppur	Pushprajgarh	Girarikhurd	4643574751
17	July-2021	25187	Reetu Bhuriya	Anuppur	Pushprajgarh	Harrai (Patna)	7336772822
18	July-2021	15561	Sangeeta Dhurwe	Anuppur	Pushprajgarh	Jarha	6383557383
19	July-2021	12950	Priyanka Parmar	Anuppur	Pushprajgarh	Kachhratola	7741582386
20	July-2021	7316	Suman	Anuppur	Pushprajgarh	Kanchanpur	4767652862
21	July-2021	9328	Vandana Ajnar	Anuppur	Pushprajgarh	Kandikapa	8764413574
22	July-2021	32934	Devki Wartee	Anuppur	Pushprajgarh	Karondi	3777285424
23	July-2021	34941	Swati Singare	Anuppur	Pushprajgarh	Keshwani	4131117238
24	July-2021	6231	Jagrati Panwar	Anuppur	Pushprajgarh	Khetgawan	4211245255
25	October-2021	8995	Goari Waskale	Anuppur	Pushprajgarh	Kohka	1752778744
26	October-2021	10193	Priyanka Rawat	Anuppur	Pushprajgarh	Ledhra(Amgawan)	5846856812
27	July-2021	10912	Ranu Patidar	Balaghat	Birsa	Dadksa	1114461625
28	July-2021	391	Rahul Vaidhya	Balaghat	Birsa	Katangi	8426364330
29	July-2021	19521	Darshna Raj	Chhatarpur	Badamalehra	Surajpura new	1114246554
30	October-2021	3480	Varsha Singh	Satna	Maihar	Bhatgawan New	1114524265
31	October-2021	9882	Yograj Prajapati	Satna	Maihar	Dhanwahi	4457583369
32	October-2021	16309	Farida Bano	Singrauli	Baidhan (Singrauli)	Devribandha	3528857463

दिशा निर्देश:–

1. प्रशिक्षु CHO को 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

Pd-7

नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यार्थियों को बाण्ड राशि 2 लाख रूपये बॉण्ड की शर्तों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जमा करना होगा।

2. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो प्रशिक्षु CHO द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. ज्वाइन करते समय प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में CCH प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से प्राप्त रिलीविंग लेटर तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगी। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही प्रशिक्षु कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर न्यूनतम 1 वर्ष सेवा देने के पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
5. सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ (CCH) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षु CHO को अतिरिक्त 1 अवसर प्रदाय किया जायेगा।
6. प्रशिक्षु CHO को दूसरे प्रयास में अनुत्तीर्ण होने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्य करने की पात्रता नही होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित होते ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
7. अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों को भी बॉण्ड राशि जमा करनी होगी।
8. प्रशिक्षु CHO को CCH परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आगामी माह से संविदा CHO के रूप में पदस्थापना दी जायेगी।
9. प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। प्रशिक्षु अवधि में रू. 15000/— मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
10. प्रशिक्षु CHO को कोई भी प्रकार की कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदाय नही की जायेगी।
11. प्रशिक्षु CHO को माह में 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में प्रशिक्षु को सवैतनिक अवकाश की पात्रता नही होगी।
12. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
13. प्रशिक्षु CHO को ज्वाईनिंग उपरांत पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
14. प्रशिक्षु CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नही लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना कदाचार माना जायेगा।
15. प्रशिक्षु CHO मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
भोपाल, दिनांक 16/03/2022

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी/2022/2021
प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. समस्त उपसंचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. उपसंचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

12. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मध्यप्रदेश, की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि जिला एम एण्ड ई अधिकारी के माध्यम से HWC Portal, NCD Portal, e-Sanjeevani में जानकारी अद्यतन करें और संबंधित CHO की ऑनलाईन आई.डी. निर्मित करें।

13. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन